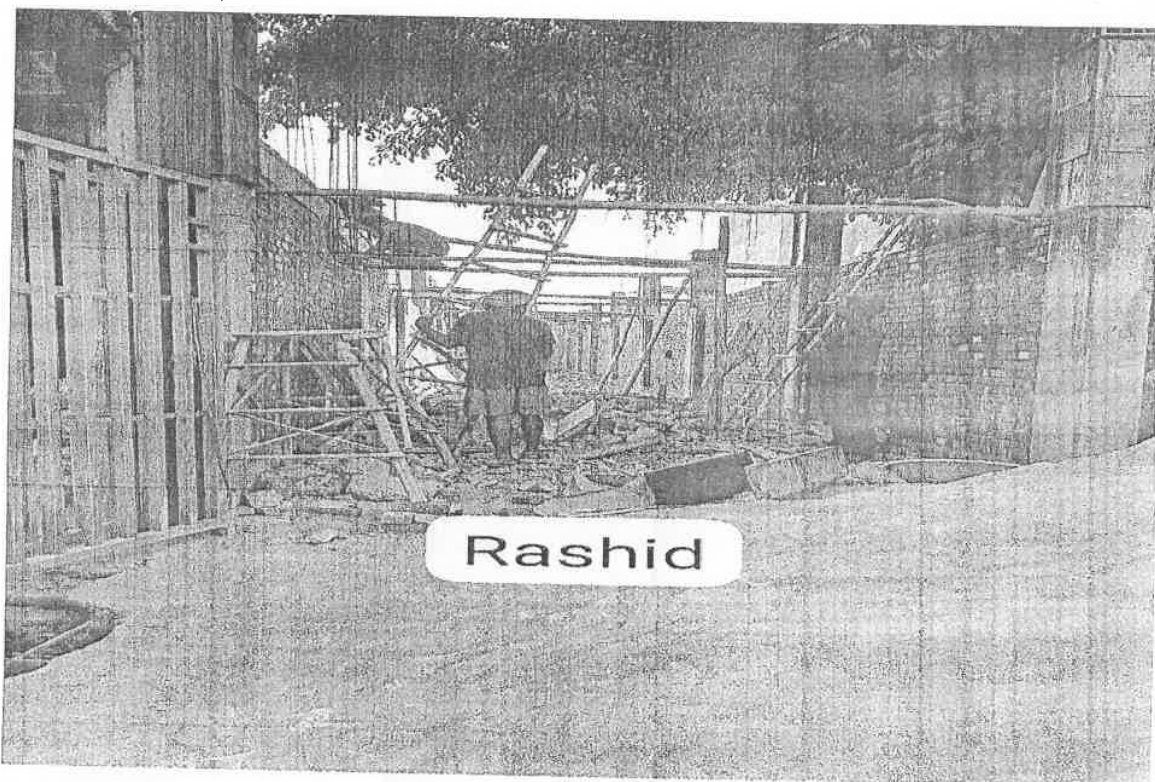




कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश

पत्रांक 992 वाद संख्या सी-253 एस-1/2024

दिनांक 15/5/2024

मौ० राशिद उल्ला/हितबद्ध व्यक्ति,
लकड मण्डी, लखीबाग,
देहरादून।

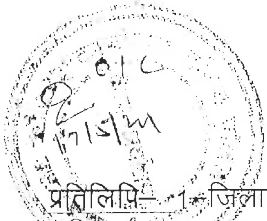
आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा 27 (1) अधीन नोटिस जो कि आप द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा (14) में वर्णित आज्ञा/अनुज्ञा/स्वीकृति किये बिना या प्राप्त/अनुज्ञा/स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर बिना स्वीकृत मानचित्र के भूतल पर लगभग 12 फिट गुणा 100 फिट के क्षेत्रफल में गोदाम का अवैध निर्माण करने पर दिनांक 26.04.2024 को नोटिस जारी किया गया। जो स्थल पर आपके द्वारा दिनांक 26.04.2024 को स्वयं प्राप्त किया। प्राधिकरण के नोटिस की जानकारी होने के उपरान्त भी नियत तिथि 06.05.2024 में आप अनुपस्थित रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको निर्माण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है या जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं जो न्यायहित में नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त जारी अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुद्धा निर्माण के सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

-2-
आदेश

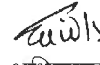
विपक्षी मौ० राशिद उल्ला/हितबद्ध व्यक्ति, लकड मण्डी, लखीबाग, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा 27 (1) अधीन नोटिस जो कि आप द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा (14) में वर्णित आज्ञा/अनुज्ञा/स्वीकृति किये बिना या प्राप्त/अनुज्ञा/स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर बिना स्वीकृत मानचित्र के भूतल पर लगभग 12 फिट गुणा 100 फिट के क्षेत्रफल में गोदाम का अवैध निर्माण करने पर दिनांक 26.04.2024 को नोटिस जारी किया गया। जो स्थल पर विपक्षी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया। नोटिस की जानकारी होने पर भी विपक्षी नियत तिथि 06.05.2024 को उपस्थित नहीं हुए और न ही इनकी ओर से कोई जबाव प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में जारी निर्माण पर अकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालानशुद्धा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सीलिंग के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.2024 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।




अधिशारी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि— 1- जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।
3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4- सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
5- नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


अधिशारी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

 17/5/24